महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 668.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 28 अगस्त तक 668.7 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 10.4 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 642.2 मिली मीटर, पुसौर में 761.6, खरसिया में 604.4, सारंगढ़ में 695.7, बरमकेला में 576.6, घरघोड़ा में 668.5, तमनार में 574.4, लैलूंगा में 741.2 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 753.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा आबंटन के लिए 8 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । जनपद पंचायत खरसिया के अंतर्गत पंचायत के अधीनस्थ जलाशय रक्शापाली, नगोई, कुनकुनी, जोबी, सोनबरसा, बिलासपुर, फरकानारा एवं लोहाखान जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टा पर आबंटित किया जाना है। इच्छुक पंजीकृत मछुआरा सहकारी समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र, बायलॉज, सदस्यों की सूची, समिति का प्रस्ताव एवं ठहराव व विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, मछुआ समूह, एसजीएसवाय समूह आवेदन प के साथ समूह का प्रस्ताव ठहराव, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण-पत्र (वर्ष 2002-03 अनुसार), जाति, निवास प्रमाण, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत सहित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 8 सितम्बर 2021 तक जनपद पंचायत खरसिया में जमा कर पावती प्राप्त कर सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर जनपद पंचायत की बैठक में विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जनपद पंचायत खरसिया, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 हेतु योग्य बालक/बालिकाओं से 8 अक्टूबर 2021 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, मिनी स्टेडियम रायगढ़ में आवेदन आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 हेतु बालक/बालिका द्वारा अपनी जान की परवाह किये बिना, दूसरे की जान बचाने हेतु वीरता का किया गया कार्य, उक्त घटना दिनांक को बालक/बालिका की आयु 6 वर्ष से कम व 18 वर्ष से अधिक न हो, शौर्य कार्य की अवधि-1 जुलाई 2020 से 30 सितम्बर 2021 के मध्य होनी चाहिए। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए संलग्न दस्तावेजों में घटना की एफआईआर अथवा पुलिस डायरी, समाचार पत्रों की कतरने जो इस संबंध में प्रकाशित हुआ हो, उक्त घटना क्रम का कम से कम 250 शब्दों में घटना का विस्तृत विवरण सत्यापित प्रति सहित, जन्म संबंधी प्रमाण-पत्र एवं सभी आवश्यक दस्तावेज, 2 पासपोर्ट साइज के वर्तमान रंगीन फोटो ग्राफ्स/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं 4 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज के फोटो, घटना का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन-सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित (प्राचार्य/प्रधान पाठक जिस स्कूल में बालक विस्तृत अध्ययनरत हो, पुलिस या अन्य विभाग), नामांकन/आवेदन 3 प्रतियों निर्धारित पत्र में संलग्न प्रारूप के अनुसार पूर्ण रूप से भरे होना चाहिए। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ के सूचना पटल एवं वेबसाईड www.iccw.co.in पर अवलोकन कर सकते है।

युवा कैरियर निर्माण योजना तहत कोचिंग के लिए 13 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । युवा कैरियर निर्माण योजना-2015 के तहत संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदेश में स्थित निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ ने बताया कि इसके लिए उपरोक्त वर्ग के परीक्षार्थी जिनकी आयु 20 से 30 वर्ष के बीच है, 13 सितम्बर 2021 सायं 4 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.trible.cg.gov.in में अवलोकन कर डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा से संबंधित समस्त जानकारी पात्र अभ्यर्थी, परीक्षा केन्द्र, परीक्षा परिणाम आदि सूचना विभागीय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है।

लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले इंटर स्टेट गैंग के दो और आरोपी गिरफ्तार

» किरोड़ीमलनगर क्षेत्र के ग्रामीण से हुई थी 41 लाख की ठगी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये टीम दिगर प्रांत रवाना करने के दिये गये दिशा निर्देशों पर थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्वच में पुलिस टीम द्वारा सुल्तानपुर (यूपी से लाइफ इंश्योरेंस रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले इंटर स्टेट गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सुल्तानपुर के न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर रायगढ़ लाया गया है। गिरोह के एक आरोपी को पुलिस टीम एक माह पहले राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार कर लाया गया था।

जानकारी के अनुसार आवेदक सुंदरलाल राठिया आ. मोहर सिंह राठिया निवासी उच्चभिट्ठी किरोडीमल नगर थाना कोतरारोड़ द्वारा दिनांक 04/03/2021 को थाना कोतरारोड़ में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सन 2012 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंश कार्पोरेशन लिमिटेड में 15 साल के लिए 11,000 रूपये का इंश्योरेंश प्रति वर्ष पटाने के लिए कराया था जो इंश्योरेंश कराने के बाद अगला किस्त पटाना बंद कर दिया था तब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड में कार्यरत देवेंद्र शर्मा (दिल्ली), अंकित चौहान (दिल्ली), विक्रम बजाज, रूद्र प्रताप, नेहा वर्मा द्वारा 2017 में बीमा का किस्त पटाने एवं 41 लाख रूपये का चेक मिलने का लालच देकर अलग-अलग खातों में अलग अलग तिथियों में कुल 41 लाख रूपया जमा कराया गया। कम्पनी से जानकारी लेने

पर दिनांक 14.10.2017 को 6,95,000/- रूपये का चेक तथा दिनांक 05.11.2019 को 41,00,000/- रूपये का चेक भेजा जा रहा है कहकर कम्पनी वाले बताये और चेक का फोटो व्हाट्अप किये। कम्पनी से 6,95,000/- रूपये का चेक प्राप्त हुआ था परन्तु बैंक में उनका एकाउंट बंद होने की जानकारी मिली। आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी के संबंध में थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 35/2020 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा द्वारा आरोपियों के खाता नम्बरों की जानकारी लेने पर एक खाताधारक के नूहू (हरियाणा) का होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम हरियाणा गई तो खाताधरक वहां नहीं मिला, आरोपी की पतासाजी कर टीम खुशखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान) से गिरफ्तार कर रायगढ़ न्यायालय में रिमांड पर पेश किया गया। आरोपी रमेश सैनी से उसके साथियों के उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली थी , जिस पर पुलिस टीम आरोपियों की पूरी जानकारी निकाल कर सुल्तानपुर(यूपी) रवाना हुई, जहां सघन पतासाजी दौरान आरोपी पवन कुमार सोनी उर्फ सोनू एवं राजीव पाण्डेय को हिरासत में लिया गया। आरोपी पवन कुमार सोनी बताया कि मिरपुर का राजीव पाण्डेय दिल्ली में खाता नहीं खुल रहा है, तुम्हारे खाता में पैसा मांगाऊंगा कहकर एटीएम बैंक एकाउंट नम्बर लिया था। रूपये आने का मैसेज आने पर राजीव को बताता था जो एटीएम से रूपये निकाल लेता था। आरोपी राजीव पाण्डेय बताया कि वर्ष 2017 में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी के दिल्ली आफिस में दिनेश गुप्ता, सौरव, सुनिता, मनीषा पूनम, के साथ काम कर रहा था। दिनेश गुप्ता मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी में सिनीयर था, विपुल पाण्डेय सुप्रो कम्पनी में था। विपुल पाण्डेय जो कस्टमर मैक्स लाइफ इंशोरेंस के कस्टमर जिनका इंशोरेंस किसी कारण रूका हो, ऐसे लोगों के नम्बर निकालता था , जिसे सभी मिलकर कॉल कर बड़ी रकम का लालच देकर फंसाते। आरोपी राजीव पाण्डेय द्वारा प्रार्थी सुंदरलाल राठिया को कम्पनी का अफिसर देवेन्द्र वर्मा, रूद्रप्रताप नाम बताकर बात किया और रूपये दूसरे के खातों में जमा कराया, जिसके एटीएम से रूपये निकालते थे, उसे 20त्न एक्स्ट्रा रकम बटवारा में देना आरोपी बताया।

गिरफ्तार आरोपी 1- पवन कुमार सोनी उर्फ सोनू पिता स्व. बाबूराम सोनी उम्र 31 निवासी दामोदरपुर थाना मोतीगरपुर जिला सुल्तानपुर (यूपी) 2- राजीव पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय उम्र 31 वर्ष निवासी मिरपुर थाना मोतीगरपुर जिला सुल्तानपुर (यूपी) को कोतरारोड़ पुलिस गिरफ्तार कर सुल्तानपुर न्यायालय में पेश कर 48 घंटे का ट्रांजिट रिमांड लेकर रायगढ़ लाया गया था। आरोपी को आज जेएमएफसी रायगढ़ न्यायालय में पेश किया गया है। प्रकरण के अन्य आरोपियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई है, जल्द टीम थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्व में गिरफ्तारी के लिये दिगर प्रान्त रवाना होगी।

कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी- डॉ.दीपिका

» येल विश्वविद्यालय अमेरिका में सहायक प्राध्यापक भारतीय मूल की डॉ.गर्ग ने ऑनलाईन वेबीनार कर कोरोना से बचाव की दी जानकारी

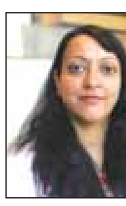

रायगढ़। कोरोना वायरस बीते दो सालों से पूरे विश्व में फैल कर एक महामारी का रूप लेते हुये सभी देशों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है। विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक देशों के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम ने अपने अध्ययन और ज्ञान के आधार पर प्राथमिक रूप से स्वास्थ्यगत कई उपाय सुझाये है।

भारतीय मूल की डॉ.दीपिका गर्ग जो कि एमडी स्त्री रोग एवं प्रजनन अन्तः स्त्रावविज्ञान में विशेषज्ञता है तथा वह सहायक प्राध्यापक के रूप में येल विश्वविद्यालय अमेरिका में अपनी सेवाएं दे रही है। डॉ.दीपिका गर्ग एवं उनके टीम के द्वारा कोरोना के संबंध में ऑन लाइन सेमिनार का आयोजन किया गया था। जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े और उक्त सेमिनार में डॉक्टर और उनके टीम के साथ सवाल-जवाब किये गए। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर सामने आए जिससे कि कोरोना महामारी से आम जन की सुरक्षा की जा सकती है। जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथों को समय-समय पर धोते रहे, सेनिटाइजर का प्रयोग, फेश मास्क का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, लक्षण होने पर तत्काल टेस्ट कराने और डॉक्टरों की सलाह माने एवं टीकाकरण जरूर करायें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए जब तक दवाई न बन जाये तब तक इन सभी सॉवधानियों को अपनाने से निश्चित रूप से कोरोना को मात दिया जा सकता है।

रनभांठा के महेन्द्र मिश्रा की मौत मामले में 4 व्यक्तियों पर हत्या का अपराध दर्ज

» मृतक के पिता ने बेटे की मारपीट से आई चोट पर जताई थी हत्या की आशंका, मर्ग जांच में हत्या का खुलासा

रायगढ़। दिनांक 19.08.2021 के दोपहर थाना पुसौर अन्तर्गत रनभांठा में रहने वाले महेन्द्र मिश्रा की मृत्यु बालाजी मेट्रो अस्पताल चक्रधरनगर में हुई थी। मृतक के पिता द्वारा उसके पुत्र की मृत्यु के संबंध में ग्राम रनभांठा के सरपंच पति राज कुमार छत्तर एवं परिवारवालों के मारपीट से महेन्द्र की मृत्यु के संबंध में संदेह व्यक्त कर जिला पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच तक संयम बरतने के निर्देश देते हुए मृतक के पिता को सांत्वना दिया गया था। घटना के संबंध में मर्ग जांच उपरांत मृतक के शव का पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। जिसमें मृतक महेन्द्र मिश्रा के शरीर पर आई चोंटो को ठोस, नुकीली वस्तु से आई चोट के कारण लेख किया गया है। मर्ग जांच पर गवाह के कथन पर यह बात सामने आई कि मृतक महेन्द्र मिश्रा सरपंच पति राज कुमार छत्तर के द्वारा ग्राम

रनभांठा में कराये जा रहे विकास कार्यो को लेकर पहले से विरोध करता था जिसके कारण राजकुमार छत्तर हमेशा महेन्द्र से रंजीश रखता था कि दिनांक 19.08.21 के लगभग 11:30 बजे विकास कार्यो को लेकर टोका-टाकी करते हुये राज कुमार छत्तर के घर बैठक कमरा में जाकर महेन्द्र विरोध जताया जिसको लेकर दिनांक 19.08.21 के दोपहर 12 बजे करीब राज कुमार छत्तर, उसका भाई जन्मजय छत्तर और गंगाराम छत्तर व सरपंच पति राज कुमार छत्तर का मित्र चैतन रात्रे सभी साकिनान रनभांठा थाना पुसौर महेन्द्र मिश्रा को मारपीट किये, जिसका ईलाज दौरान मौत हो गया। मर्ग जांच पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 186/2021 धारा 302,34 ता0हि0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुसौर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है।

सारंगढ़ में डकैती की योजना बनाते नाबालिग सहित 6 गिरफ्तार

» आरोपियों से हथियार, स्विफ्ट कार व 4 बाइक जब्त

» हाल ही में सरसींवा, डभरा, सक्ती, महासमुंद में चोरी की वारदात को दिये थे अंजाम

रायगढ़। गत दिनों सारंगढ़ क्षेत्र के लक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई चोरी की वारदात को गंभीरता पूर्वक लेते हुए एसपी अभिषेक मीणा द्वारा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सारंगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल तथा थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक अमित शुक्ला को पुलिस टीमें बनाकर माल मुल्जिम की शीघ्र पतासाजी करने का निर्देश दिया गया था।

दिनांक 27/08/2021 के शाम सारंगढ़ टीआई अमित शुक्ला को सारंगढ़ के शासकीय शराब भट्टी रोड पर तालाब किनारे एकांत में कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने इक्ट्ठा

हुये हैं, सूचना मिला। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर थाना प्रभारी पर्याप्त बल के साथ सुरक्षापूर्वक मुखबिर के बताये स्थान की घेराबंदी कर सभी 06 व्यक्ति को हथियारों के समेत धर दबोचा गया, मौके से एक स्वीफ्ट कार सीजी 12 एके 8606 जिसके पीछे मीडिया लिया है एवं दुपहिया की जप्ती की गई। सभी थानाक्षेत्र के आदतन बदमाश हैं, जिनका चोरी का रिकार्ड है। पूछताछ में जानकारी सही साबित हुई सभी डकैती की तैयारी के साथ इक्ट्ठा हुये थे।

हिरासत में लिये गए आरोपी 1- लोकनाथ उर्फ भोको जाटवर पिता अघोरी जाटवर उम्र 22 वर्ष निवासी मंधाईभांठा थाना सरसीवा जिला बलौदाबाजार 2- राहुल प्रेमी पिता दशस प्रेमी उम्र 19 वर्ष निवासी मंधाईभांठा थाना सरसीवा जिला बलौदाबाजार 3- अंकुश बरेठ पिता शंकर प्रसाद बरेठ उम्र 26 वर्ष निवासी अंडोला थाना कोसीर 4-सागर उर्फ टिंगालू भारती पिता गणेश भारती उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दहिदा थाना कोसीर 5- प्रदीप कुमार भारद्वाज उर्फ खांडू पिता हेतराम भारद्वाज उम्र 32 वर्ष निवासी दहिदा थाना कोसीर 6- विधि उल्लंघनकारी बालक पूछताछ में बताये पांचो मिलकर आरोपी अंकुश बरेठ के स्विफ्ट कार सीजी 12 एके 8606 का इस्तेमाल कर कई जगह चोरी करने जाते थे। चोरी में मिली संपत्ति रकम को आपस में बांट लेते थे, कुछ दिनों पहले सभी मिलकर सुशील किराना स्टोर सरसीवा में 70-80 हजार रूपये की चोरी एवं डबरा एवं शक्ति क्षेत्र में चार मोटरसाइकिल सिंघोड़ा(महासमुंद) के जनरल स्टोर में चोरी किए थे, रुपए/सामान को आपस में बांटे, रूपये को खर्च कर लेना बताएं। आदतन चोर ज्यादा रुपए कमाने के लालच में सारंगढ़ क्षेत्र में बड़े ज्वेलरी दुकान या बैंक में डकैती की प्लानिंग के साथ इकट्ठा हुए थे। आरोपियों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 4 मोटरसाइकिल (पल्सर, पैशन प्लस,एचएफ डीलक्स, एक सीडी डीलक्स) पूर्व में चोरी कर रखे हुए एवं घटना में उपयोग किये है तथा उनके पास रखे लोहे का तलवार, कत्ता, बिंधना, राड, सनकली खिलौना पिस्तौल को जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना सारंगढ़ में अप.क्र. 511/2021 धारा 399,402 आईपीसी, 25 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

रोजगार कार्यालय लगा रहा प्लेसमेंट कैम्प, निजी क्षेत्र में मिल रहा लोगों को काम

» तीन प्लेसमेंट कैम्प से 52 लोगों को मिला रोजगार

रायगढ़ । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायगढ़ द्वारा निजी क्षेत्रों में जिले के पंजीकृत आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईटीआई परिसर, पालीटेक्निक संस्थान तथा अन्य उपयुक्त परिसर में प्लेसमेंट कैम्प तथा रोजगार मेला का आयोजन किया जाता है। जिसमें कैम्प स्थल पर ही निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा योग्य आवेदकों का चयन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2020-21 में शा.आईटीआई रायगढ़ में 30 जनवरी 2021 को मे.बी.आर.स्टील एण्ड पावर प्रा.लि.संबलपुर उड़ीसा द्वारा इलेक्ट्रिशियन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। जिसमें 99 आवेदक सम्मिलित हुए। जिनमें से 22 आवेदकों का चयन किया गया। फीटर के 20 पद में साक्षात्कार हेतु 62 आवेदक सम्मिलित हुए। जिसमें 20 आवेदकों का चयन किया गया। वेल्डर के लिए 6 आवेदकों का चयन किया गया। इसी प्रकार 1 मार्च 2021 को कार्यालय परिसर में मेसर्स नेहा ऑफसेट द्वारा हेल्फर के 2 पद के लिए चयन किया गया। ऑफिस बाय के एक पद एवं कम्प्यूटर आपरेटर के एक पद हेतु चयन किया गया।

सितम्बर माह में पूरा कर लें गिरदावरी का कार्य-कलेक्टर

» लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के साथ लगाने वाले जरूरी दस्तावेजों की जानकारी कार्यालयों में करें चस्पा

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे गिरदावरी का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार होता है। अतः इसे पूरी गंभीरता से किया जाए। गिरदावरी के तहत सभी जानकारियों का भौतिक सत्यापन कर उसकी एन्ट्री करें। इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम को अनुविभाग के आरआई व पटवारियों को विशेष रूप से निर्देशित करने के लिए कहा। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों को गिरदावरी कार्य का नियमित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सितम्बर माह के अंत तक गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया जाए।

बैठक में कलेक्टर सिंह ने लोक सेवा गारंटी में निरस्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी से मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी आवेदकों को दी जाए, जिससे निरस्त आवेदनों की संख्या में कमी लायी जा सके। इसके लिए उन्होंने संबंधित आवेदन के साथ चाही गई आवश्यक प्रमाण-पत्रों व दस्तावेजों की जानकारी कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए। जिससे आवेदकों को आवेदन करने में आसानी होगी। जिससे निरस्त आवेदनों की संख्या में कमी आएगी। कलेक्टर भीम सिंह ने राजस्व न्यायालयों के लंबित प्रकरण की समीक्षा की। जिस पर पाया गया कि कुछ प्रकरण अभी भी दो साल से अधिक समय से लंबित है। इन प्रकरणों का भी जल्द निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हुये कहा कि प्रकरणों का समय से निराकरण करना राजस्व अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कलेक्टर सिंह ने ई-नामांतरण, ई-कोर्ट आर्डर शीट, वन अधिकार पट्टा से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुये सभी संबंधित पुराने केस के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। वन अधिकार पट्टे वाले हितग्राहियों द्वारा फसल ली जा रही है तो उसकी भी गिरदावरी करवाने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में नजूल पट्टों का नवीनीकरण, बटवारा, व्यवस्थापन, डायवर्सन, सीमांकन तथा फ्री होल्ड प्रकरणों की समीक्षा। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित करते हुये कहा कि नजूल भूमि के संबंध में शासन की फ्री होल्ड और व्यवस्थापन योजना के साथ नजूल पट्टों के नवीनीकरण प्रकरणों में तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीमांकन एवं खाता विभाजन की प्रगति की जानकारी ली तथा डायवर्सन के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीमांकन के कितने प्रकरण लंबित है एसडीएम को निरीक्षण करने के निर्देश दिए। साथ ही खाता विभाजन के कोई भी प्रकरण दो साल पुराने नहीं होने चाहिए इसका विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में नजूल के भू-भाटक वसूली, राजीव गांधी आश्रय योजना पट्टा वितरण, डायवर्जन प्रकरणों तथा डायवर्जन भू-भाटक वसूली की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ई-कोर्ट में प्रकरणों से संबंधित अद्यतन जानकारी नियमित रूप से अपडेट करने निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने आरबीसी 6-4 के अंतर्गत जनहानि, फसल क्षति व मकान क्षति के मुआवजा का वितरण निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रकरण लंबित है तो उस पर तत्काल मुआवजा प्रदान करें।

कलेक्टर सिंह ने कहा कि तहसीलों में पटवारी तथा आरआई के लिए कम्प्यूटर सिस्टम प्रदान किया जा रहा है जिसके पश्चात यह डाटा सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने सीएम जनचौपाल, कलेक्टर जनचौपाल, पीजीएन, पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इसका समय से निराकरण करने के निर्देश उन्होंने सभी एसडीएम तथा तहसीलदार को दिए।

इस अवसर पर एडीएम राजेन्द्र कटारा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480